न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2025(GCMS 2025/303)
(RTI No. 212465123811779)

श्री विनोद कुमार निवासी वार्ड नं. 5, गोलूवाला नोहर, 21 जे.डी.के. हनुमानगढ़, राजस्थान-335802 (मोबाईल नम्बर 99507-30666)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

13.08.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विनोद कुमार दिनांक 11.08.2025 को पेश हुए और निवेदन किया कि वे लिखित में जवाब/बहस पेश करना चाहते है, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित जवाब/बहस पेश नहीं की है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 04.07.2025 को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विनोद कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> क्रमांक 4831 दिनांक 20.01.1978 श्री जिलाधीश, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ प्राप्त हुए आदेश की प्रमाणित सूचना देने का कष्ट करें जो कि स्कैन कॉपी संलग्न है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/531 दिनांक 04.08.2025 के साथ अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री विनोद कुमार श्री संतोष कुमार निवासी गोलूवाला वार्ड नम्बर 05, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ने सूचना के अधिकार अाधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन नम्बर 212308369113993 दिनांक 04.07.2025 द्वारा चाही गई सूचना आवेदनकर्त्ता को जरिये दूरभाष नोट करवा दी [illegible] आवेदनकर्त्ता द्वारा चाही गई सूचना बाबत [illegible] कहा गया एवं ऑनलाईन नम्बर 4378935780 दिनांक [illegible].07.2025 द्वारा आवेदनकर्त्ता को सूचित भी कर दिया गया था ([illegible] की प्रति संलग्न है।) आवेदनकर्त्ता द्वारा दस्तावेजात पेश नहीं कर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 53/2025
(GCMS No. 2025/303)
(RTI No. : 212465123811779)

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 531 दिनांक 04.08.2025 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वंछित सूचना से सम्बन्धित ब्यौरा उपलब्ध करवा दवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल [illegible]।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर